मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

अपील क्रमाँक ए– 01 /रासूआ/38/03/2006./बीपीएल/05–06/ए–001

श्री प्रवीण नायडू,फोटो टाईप सेटिंग आपरेटर,
शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय,भोपाल अपीलकर्ता

विरूद्ध

श्री श्रीनिवास,डी.सी.
शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय,भोपाल लोक सूचना अधिकारी

उप नियंत्रक,शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय,भोपाल अपीलीय अधिकारी

आदेश
(दिनांक 28 दिसंबर,2005)

श्री प्रवीण नायडू,फोटो टाईप सेटिंग आपरेटर,शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय,भोपाल ने द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी उपनियंत्रक,शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय,भोपाल के आदेश दिनांक 8 नवंबर,2005 से असंतुष्ट होकर की है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलकर्ता की अपील को अस्वीकार किया है और लोक सूचना अधिकारी के आदेश को उचित माना है । लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने अपीलकर्ता को सूचना न देने का यह कारण उल्लेखित किया है कि मांगी गई सूचना ''सूचना अधिकार अधिनियम'' की धारा 8–डी के अंतर्गत आती है । इसलिए यह सूचना नहीं दी जा सकती है । सक्षम अधिकारी उप नियंत्रक संतुष्ट नहीं है और इसलिए मांगे गए अभिलेख अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते ।

2. इस प्रकरण में अपीलकर्ता श्री प्रवीण नायडू ने निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को आवेदन–पत्र दिनांक 18.10.2005 को प्रस्तुत किया था :–

1. दिनांक 10.4.2003 से 15.10.2005 की अवधि में श्री एम.पी.सिंह,सीनियर सेक्शन हौल्डर शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय,भोपाल के द्वारा सहायक नियंत्रक की मुद्रा (सील) लगाकर स्वयं के हस्ताक्षर करने से संबंधित भण्डार के देयकों,लेजर एवं संबंधित रजिस्टर के पत्रों की समस्त छायाप्रतियां उपलब्ध कराने हेतु ।
2. देयकों पर हस्ताक्षर करने हेतु श्री एम.पी.सिंह,सीनियर सेक्शन होल्डर को अधिकृत करने बाबत् कार्यालयीन आदेश की छाया प्रति ।

लोक सूचना अधिकारी,सहायक नियंत्रक श्री श्रीनिवास डी.सी. ने अपीलकर्ता का आवेदन–पत्र दिनांक 7 नवंबर,2005 को निरस्त कर दिया । इस निरस्ती का आधार यह बताया गया है कि जो जानकारी चाही गई है,वह सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8–डी (वाणिज्यक कर,व्यापार की गोपनीयता) के संबंध में है और इसे देने के

लिए सक्षम अधिकारी (उप नियंत्रक) संतुष्ट नहीं है इसलिए यह अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर एक अपील अपीलीय अधिकारी उप नियंत्रक शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय,भोपाल को की । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलकर्ता की अपील उन्हीं आधारों पर निरस्त कर दी जिस आधार पर लोक सूचना अधिकारी ने की थी । इस आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं उप नियंत्रक को अपील के बिंदुओं पर प्रति उत्तर देने के लिए अपील की प्रति भेजी गई थी । लोक सूचना अधिकारी से अपील के बिंदुओं पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप नियंत्रक शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय भोपाल से इस अपील के बिंदुओं के संबंध में उत्तर प्राप्त हुआ है । उत्तर में यह बात पुनः दोहराई गई है कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8–डी वाणिज्यिक कर,व्यापार की गोपनीयता के संबंध में है, इसलिए सूचना देना आवश्यक नहीं है । चाही गई जानकारी में कोई विशाल लोकहित संन्निहित नहीं है इसलिए यह जानकारी नहीं दी जा सकती ।

4. अपीलकर्ता, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी मौखिक सुनवाई के लिए दिनांक 28 दिसंबर, 2005 को उपस्थित हुए । मौखिक सुनवाई के समय प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह जानकारी दी कि अपीलकर्ता शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय,भोपाल में कर्मचारी है और जो जानकारी उसने मांगी थी,उसका उससे कोई संबंध नहीं है । इस बात पर अपीलीय अधिकारी का ध्यान सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत आकर्षित किया गया जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो नागरिक सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगता है,उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि जानकारी का उससे कोई प्रत्यक्ष संबंध हो । इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी का यह कहना था कि उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है,अतः इस प्रकार की त्रुटियां हुई हैं और इसीलिए यह आवेदन पत्र निरस्त किया गया है ।

5. मौखिक सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें मांगी गई जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है और वह उसे एक दिन में उपलब्ध करा देंगे । उन्हें मांगी गई जानकारी दिनांक 30 दिसंबर, 2005 तक अपीलकर्ता को देने के लिए निर्देशित किया गया और यह भी निर्देशित किया गयाकि वे इस संबंध में पालन प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसंबर, 2005 को राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत करें ।

6. इस प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के संबंध में कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है । यह इस बात से भी स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी और अपीलकर्ता अधिकारी ने अपने आदेशों में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया है कि अपील करने की निर्धारित समय सीमा क्या है । इस साथ ही साथ आवेदन और

अपील को निरस्त करने के संबंध में जो कारण दिए गए हैं,उसका कोई विश्लेषण नहीं किया गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (8) के अंतर्गत यह जानकारी देना अनिवार्य है । इसलिए इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाना अत्यंत आवश्यक है । आर.सी.वी.पी. प्रशासन अकादमी में सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण होते रहते हैं । उनमें शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय भोपाल के उन सभी अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के पालन करने का दायित्व सौंपा गया है ।

(टी0 एन0 श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त